

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

ओर से SITARAM MEENA  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
DCF JAIPUR

निमित्त न्यायालय सहायक वन संरक्षक,

क्रमांक/ENDIV003RNG01052

विषय : — राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत वन विभाग भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को बेदखल करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री etrert निवासी dfgrdfg ने वन भूमि ग्राम के खसरा नम्बर 34535 आरक्षित/रक्षित वनखण्ड DCF JAIPUR की 0.18 हैक्ट0 पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। यह वनखण्ड राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या 5345345 दिनांक 26/04/2021 के द्वारा Reserve Forest घोषित हो चुकी है। क्षेत्र का मानचित्र एवं वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जे का विवरण संलग्न है।

अतः श्री etrert को राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अनाधिकृत कब्जे से बेदखल करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न : —

- 1 . MAP Document File
- 2 . Jamabandi Document File
- 3 . Notification Document File
- 4 . Panchnama Document File
- 5 . Nazri Naksha Document File

भवदीय  
SITARAM MEENA  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
DCF JAIPUR